# मेरठ विकास प्राधिकरण

की

# 109वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 25—07—2017

का

# कार्यवृत्त

# मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 109वीं बैठक दिनांक 25–07–2017 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 109वीं बैठक सभागार–मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 25–07–2017 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सीताराम यादव, | उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। | उपाध्यक्ष। |
| 2. | श्री समीर वर्मा, | जिलाधिकारी, मेरठ। | सदस्य। |
| 3. | श्री काली विभूति शुक्ला, | सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ मुख्यालय, लखनऊ। | सदस्य। |
| 4. | श्री ए0एच0 कर्नी, | अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ। | सदस्य। |
| 5. | श्री अतुल कुमार सिंह, | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ। | सदस्य। |
| 6. | श्री एस0पी0एन0 सिंह, | अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। | सदस्य। |
| 7. | श्री के0पी0 सिंह, | अधीक्षण अभियन्ता, अस्थायी निर्माण मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, मेरठ। | सदस्य। |
| 8. | श्री राजेन्द्र सिंह, | अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, मेरठ (विशेष आमन्त्रित सदस्य) | सदस्य। |
| 9. | श्रीमती मिष्ठा देवी, | पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित | सदस्य। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | श्री राजेन्द्र सिंह, | पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित | सदस्य। |
| 11. | श्री पंकज कतीरा, | पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित | सदस्य। |
| 12. | श्री विजय आनन्द, | पार्षद, नगर निगम, मेरठ द्वारा नामित | सदस्य। |
| 13. | श्री राज कुमार, | सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। | संयोजक/सदस्य। |

**प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–**

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी परन्तु नामित सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी कि दिनांक 07–12–2016 को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया और न ही निर्णय हुआ। नामित सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि मेरठ व बुलंदशहर के किसानों की परिस्थिति अलग–अलग हैं। मेरठ में हजारों–हजार किसान अनशन पर बैठक हुए है तथा अधिगृहीत भूमि पर विकास कार्य नहीं होने दे रहे है जिस कारण प्राधिकरण आवंटियों को कब्जा नहीं दे पा रहा है। नामित सदस्यों द्वारा यह भी बताया गया कि 107वीं बोर्ड बैठक में जो निर्णय हुआ है वह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय को लागू करने के विषय में है जिसका कोई सम्बन्ध बुलंदशहर के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका से नहीं है जिससे दिनांक 07–12–2016 के बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त ठीक नहीं बनाया गया है और इसे विलुप्त कर 107वी बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय को लागू किया जाय।

उक्त के क्रम में पाया गया कि 108वीं बोर्ड बैठक में उक्त 107वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रस्तुत हुईः–

***"दिनांक 28–09–2016 को सम्पन्न 107वीं बोर्ड बैठक के मद सख्या–13 पर प्रस्तुत प्राधिकरण की गंगानगर, गंगानगर विस्तार (42.00 एकड), डा0 राममनोहर लोहिया नगर एवं वेदव्यासपुरी योजनाओं के कृषकों को शताब्दी नगर योजना की तर्ज पर अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने सम्बंधी प्रस्ताव पर माननीय बोर्ड की सहमति अनुसार तीनों योजनाओं के कृषकों से समझौता फार्म भरवाये गये जिनमें से कतिपय समझौतों का प्राधिकरण स्तर से परीक्षण कर जांचोपरान्त गणना हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0),सं0सं0, मेरठ कार्यालय भेजा गया। उक्त के सम्बंध में अपर जिलाधिकारी (भू0अ0),सं0सं0, मेरठ द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक: 549/आठ–अ0जि0अ0/भू0अ0/सं0सं0, मेरठ दिनांक 26–10–2016 के माध्यम से अवगत कराया कि***

***'चूँकि भू–धारको को उपरोक्त भूखण्ड आवंटन/एक्सग्रेसिया की देय धनराशि भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णय/डिक्री के अतिरिक्त अर्जन निकाय स्तर से दी जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सख्या–31586/2016 में स्पष्ट किया है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान नही है, जिसके अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मुआवजे की धनराशि को बढा सके। भूमि अध्याप्ति कार्यालय से उक्त समझौते में कार्यवाही किया जाना विधि अनुसार प्रतीत नही हो रहा है।' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका सख्या–31586/2016 कमल सिंह व 03 अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिंनाक 29–08–2016 द्वारा विशेष जांच समिति गठित कर जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त याचिका में सुनवाई हेतु दिनाक 15–12–2016 नियत है। उक्त याचिका में पारित अन्तिम आंदेश का संज्ञान लेकर बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावं पर कार्यवाही किया जांना उचित होगा। उक्तानुसार अनुपालन आख्या प्राधिकरण बोर्ड की सहमति हेतु प्रस्तुत है।"*** माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का संज्ञान में लेते हुए उक्त अनुपालन मद अन्तर्गत ***"प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 31586/2016 कमल सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार के निर्णय की प्रत्याशा में प्रासंगिक निर्णय/अनुपालन को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।"*** निर्णय लिया गया।

उक्त के क्रम में मा0 सदस्यगणों की आपत्ति, इस हद तक उचित पायी गयी है कि 107वीं बैठक में लिया गया निर्णय, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के क्रियान्वयन/अनुपालन के लिये रखी गयी थी। उल्लेखनीय है कि समिति का निर्णय दिनांक 11–05–2015 को लिया गया था, जबकि बुलन्दशहर से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका सं0 31586/2016 बाद की है। साथ ही अधिग्रहण से अब तक किसानों द्वारा वहाँ विकास कार्य करने नहीं दिया गया एवं अनेको बार पुलिस बल हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु किसानों के विरोध के चलते विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

शासनादेश सं0 1727/9–आ–3–2001–87एल0ए0/2000 दिनांक 19–06–2001 द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखते के दृष्टिगत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "भू अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर का भुगतान समझौते के आधार पर करने के सम्बन्ध में" समिति के गठन का प्राविधान है तथा "भू–अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास हेतु" शासनादेश सं0 1252/1–13–10–20(29)/2004 दिनांक 17–08–2010 में स्पष्ट रूप में अंकित है कि प्रदेश में भू–अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में भूमि अधिग्रहण करने से पहले और बाद में

भी सरकार को किसानों के साथ आम सहमति नहीं बनने की स्थिति में उन्हें सुलझाने हेतु समिति के गठन का प्राविधान किया गया है। इन्हीं प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समग्र स्थिति का मूल्यांकन कर किसानों से सहमति के आधार पर रिपोर्ट बनायी गयी थी जिसके आधार पर अनुपालन एवं क्रियान्वयन हेतु 107वीं बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया था जिस पर मा0 बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी की रिपोर्ट का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु 108वीं बोर्ड बैठक में क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया था।

चूँकि उक्त शासनादेश अभी भी प्रचलित है तथा अभी इन्हें शासन द्वारा वापस नहीं लिया गया है। अतः जिलाधिकारी की समिति की संस्तुतियाँ, जिसे 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा स्थगित किया गया है, का अनुपालन किया जाना जनहित में होगा। अतः सर्व सम्मति से 107वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन करने का अनुमोदन किया गया।

**प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 के निर्णय पर अनुपालन–**

**मद सं0 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14 व अनुपालन मद 01 व 02** प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मदों पर अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः–

| मद सं0 | प्रकरण | प्रस्तुत अनुपालन आख्या | दिया गया निर्देश |
|---|---|---|---|
| **मद सं0 05** | प्राधिकरण की गंगा नगर योजनार्न्तगत पॉकेट बी स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–01, क्षेत्रफल 1552.50 वर्ग मीटर को सी0एन0जी0 स्टेशन की स्थापना हेतु गेल गैस लि0 को आवंटित किये जाने के | गैल गैस लि0 को बोर्ड के निर्णय से अवगत कराते हुए से गंगानगर योजना के पॉकेट बी में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड के सापेक्ष देय धनराशि का माँग पत्र दिनांकित 20–12–2016 जारी किया जा चुका है। गैल गैस लि0 द्वारा अभी देय धनराशि जमा नहीं की गयी है। | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि गेल गैस लि0 को 1 माह की अवधि का माँग पत्र इस आशय का भेज दिया जाए कि यदि गेल गैस लि0 प्रश्नगत भूखण्ड की देय धनराशि मय दण्ड ब्याज जमा नहीं कराता है तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सम्बन्ध में। | | निरस्त समझा जायेगा। |
| मद सं0 07 | पल्लवपुरम फेस–द्वितीय योजनान्तर्गत भूखण्ड संख्या केपी–11 स्थित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किये गये अनधिकृत निर्माण के शमन के सम्बन्ध में। | प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 14–02–2017 को हुई। तद्नुसार आवेदक को भवन उपविधि के प्रस्तर 3.4–1(5) का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। नियमानुसार शमन उपविधि के अनुरूप प्रकरण का शमन सीमा तक शमन किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में सेटबैक का उलंघन किया गया है जो शमन योग्य नहीं है। भवन का निर्माण साढ़े सात मीटर चौड़े मार्ग तक किया गया है, भवन का निर्माण मार्ग तक करना नियोजन एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से भी औचित्यपूर्ण नही हैं। उक्त से प्रत्यावेदक श्री कलीराम त्यागी को साईट सेटबैक में अशमनीय निर्माण को हटाने हेतु दिनांक 29–04–2017 को सूचित किया गया, उसके द्वारा अशमनीय निर्माण न हटाने पर प्रासंगिक निर्माण स्थल को दिनांक 21–06–2017 को सील कर दिया गया है। सुनवाई हेतु अगली तिथि 02–08–2017 नियत है। | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा मुख्य अभियन्ता एवं नगर नियोजक की एक समिति गठित करने के निर्देश दिये गये। समिति स्थल निरीक्षण करके स्वीकृत मानचित्र से मिलान कर विचलन की पहचान कर लें जो भाग शमनीय नहीं हैं उसे ध्वस्त किया जाए तथा 15 दिन में कार्यवाही पूर्ण करके अवगत कराया जाए। विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मद सं0 10 | उ0प्र0 शासन द्वारा जारी धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु उपविधि के अंगीकरण के सम्बंध में। | प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि धरोहरों की सूची देख ली जाए तथा उपविधि के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। |
| मद सं0 15 | शताब्दीनगर आवासीय योजना सैक्टर–2 मे निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास के निर्माण कार्य को उसकी लागत, भविष्य मे होने वाले सम्भावित रखरखाव पर होने वाले अत्याधिक व्यय एवं वर्तमान मे निर्माणाधीन भवन की उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन कार्य को इसी स्तर पर रोकने एवं निर्माणाधीन भवन का कालान्तर मे यथा–उपयोग करने/नीलामी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में। | बोर्ड के निर्णय के अनुपालन मे प्राधिकरण द्वारा शताब्दीनगर योजना मे निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास का निर्माण कार्य को बन्द करा दिया गया तथा बोर्ड के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।<br>उपरोक्तानुसार आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। गत बोर्ड बैठक में निर्माणाधीन आवास को शीघ्र नीलाम करने अथवा अन्य उपयोगार्थ करने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि **उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सचिव एवं मुख्य अभियन्ता की समिति बनाकर जाँच कर ली जाए कि किन परिस्थितियों में निर्माण शुरू किया गया। समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए समिति यह भी विचार करेगी कि यदि वहाँ पर "उपाध्यक्ष आवास" नहीं बनना है तो इसका क्या वैकल्पिक उपयोग हो सकता है।** |

**प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव**

| के निर्णय पर अनुपालन पर बोर्ड के निर्देश– | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राधिकरण बोर्ड सदस्य श्री परमिन्दर इशू द्वारा प्राधिकरण योजनाओं की एस0टी0पी0 बन्द रहने का तथ्य संज्ञान में लाया गया जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड के नामित/गैर सरकारी सदस्यों के साथ प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 का संयुक्त निरीक्षण करा दिया जाए। | सामान्य विधान सभा चुनाव घोषित होने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण संयुक्त निरीक्षण नहीं किया जा सका है। सरकार गठन के पश्चात् मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 206 पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 20–03–2017 के अनुसार "तत्कालीन सरकार के कतिपय विभागों/सार्वजनिक निगमों, परिषदों/समितियों आदि के प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त किये गये सभी कार्यरत् गैर सरकारी सलाहकारों/अध्यक्षों/उपाध्यक्षों एवं सदस्यों की सेवाओं को तत्काल समाप्त करते हुए उन्हें कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है, कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।" बोर्ड सदस्यों की सेवायें समाप्त हो जाने के कारण उन्हें एस0टी0पी0 का निरीक्षण नहीं कराया जा सका। यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में प्राधिकरण | श्री पंकज कतीरा, पार्षद द्वारा प्राधिकरण के एस0टी0पी0 का संचालन सौर्य ऊर्जा से कराये जाने एवं एस0टी0पी0 का पानी विक्रय किये जाने का निवेदन किया गया।<br>एस0टी0पी से निकलने वाले पानी एवं **Efflicent** के उपयोग किये जाने के बिन्दु पर कार्यवाही किया जाए। इनका वैकल्पिक उपयोग क्या–क्या हो सकता है, इस पर भी कार्य किया जाए। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | द्वारा निर्मित 10 एस0टी0पी0 का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है तथा कोई भी एस0टी0पी0 स्थल पर बन्द नहीं है। | |
| **प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के निर्णय पर अनुपालन पर बोर्ड के निर्देश–** | | | |
| 4 | अवस्थापना निधि मेरठ शहर के मुख्य चौराहा का विकास/जिर्णोधार। | बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा, विकसित किये जा रहे चारो चौराहों तेजगढ़ी चौराहे, हापुड अड्डा चौराहे, बेगमपुल चौराहे व एच0आर0एस0 चौराहे का दिनांक 01–03–2017 तथा 17–03–2017 को निरीक्षण किया गया। चारो चौराहों के स्थल निरीक्षण के उपरान्त दिनांक 17–03–2017 को सांय उपाध्यक्ष मे0वि0प्रा0 के कक्ष में सी0आर0आर0 आई0 के प्रतिनिधियों के साथ चौराहो को और अधिक प्रभावी रूप से विकसित करने हेतु विचार विमर्श किया गया। तत्क्रम में उपाध्यक्ष, मे0वि0प्रा0 द्वारा सी0आर0 आर0 आई0 के सीनियर प्रिन्सिपल साईन्टिस्ट श्री एस0 वेलमुरूगन, एस0पी0–ट्रैफिक, नगर निगम के मुख्य अभियन्ता श्री के0बी0 वार्ष्णेय, एन0 एच0 पी0डब्ल्यू0डी0 के | कार्यवाही यथाशीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गए। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अधिशासी अभियन्ता श्री शमीम तथा कैन्टोमेन्ट बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 17–05–2017 को पुनः हापुड अड्डा चौराहे तथा बेगमपुल चौराहे का निरीक्षण किया गया। सी0आर0आर0आई0 द्वारा अपने पत्र सं0 2(412)/TTP/17 दिनांक 05–06–2017 के द्वारा चौराहों के डिजाइन को संशोधित किये जाने हेतु धनाँक रूपये 6,90,000/– की माँग की गयी है। दिनांक 16–06–2017 को आयुक्त महोदय द्वारा हापुड़ अड्डा तथा बेगमपुल चौराहे के स्थल निरीक्षण के समय निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित चौराहों का रिवाइज्ड प्लान स्थानीय स्तर पर ट्रेफिक पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग आदि के साथ बैठक कर संशोधित किये जाए तथा संशोधित प्लान पर आयुक्त महोदय की सहमति प्राप्त करते हुए यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाए। तत्क्रम में हापुड़ अड्डा चौराहा तथा बेगमपुल चौराहा की ड्राईंग डिजाइन तैयार कराये जाने हेतु टोटल स्टेशन कराये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | प्रदान की जा चुकी है। | |

## 109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–07–2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

| | | |
|---|---|---|
| **मद सं0–01** | वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित आय–व्ययक। | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ आय–व्ययक अनुमोदित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा आय बढ़ाने के लिये बकायादारों से बकाया किश्तों की वसूली की जाए तथा किश्त जमा न करने वाले आवंटियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए साथ ही मा0 बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम तिमाही में कम्पाउन्डिंग मदों के अन्तर्गत बहुत कम धनराशि प्राप्त होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि कम्पाउन्डिंग की मदों में वर्ष 2017–18 में अधिक से अधिक आय प्राप्त की जाए तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की प्रतिदिन की आय पर नज़र रखी जाए एवं प्रत्येक माह आय–व्यय की समीक्षा की जाए। |
| **मद सं0–02** | मै0 एम0एल0 एग्रीटैक द्वारा श्रीमती नीना गर्ग एवं श्री पंकज गर्ग, ग्राम बटजेवरा, सरधना रोड़, जिला मेरठ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| **मद सं0–03** | मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम दौलतपुर फरखाबाद उर्फ कायस्थ गावड़ी के खसरा नं0 825 व 826 क्षेत्रफल 2.2010 हे0 स्थित परगना व तहसील मेरठ जिला मेरठ का भू–उपयोग | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु कृषि से सार्वजनिक सुविधायें (शैक्षिक एवं सामुदायिक सुविधायें) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। | |
| **मद सं0–04** | बैकहो लोडर मशीन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| **मद सं0–05** | मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क के समस्त मदों की धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव। | मा0 बोर्ड द्वारा अनुरक्षण शुल्क के सभी मदों पर ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक (साधारण ब्याज) इस निर्देश के साथ अनुमोदित की गयी कि सभी बकायेदार जिनके द्वारा दिनांक 31–10–2017 तक बकाया अनुरक्षण शुल्क का एक मुश्त भुगतान कर दिया जाता है उन्हें ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।<br>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षण शुल्क हेतु नियमावली बनायी जाए कि जिन आवंटियों द्वारा वित्तीय वर्ष में देय समस्त अनुरक्षण शुल्क का भुगतान माह अप्रैल में कर दिया जाता है, उन्हें अनुरक्षण शुल्क की सम्पूर्ण देयता पर 10 प्रतिशत की छूट तथा माह मई में जमा करने वाले आवंटियों को 5 प्रतिशत की छूट तथा माह जून से सितम्बर तक जमा करने वाले आवंटियों को बिना ब्याज के साथ अनुरक्षण शुल्क जमा कराने की सुविधा दी जाए तत्पश्चात् नियमानुसार निर्धारित ब्याज के साथ अनुरक्षण शुल्क जमा कराये जाने की सुविधा आवंटियों को दी जाए। प्राधिकरण द्वारा उक्तानुसार नियमावली तैयार कर अगली बोर्ड बैठक में रखी जाए। |

| | | |
|---|---|---|
| **मद सं0–06** | मैसुर्स प्रसन्दी स्किल्ड टैक प्रा0लि0 द्वारा श्री विजय पाल यादव एन0एच0–58 स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में सी0एन0जी0 पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | विकास शुल्क, प्रभाव शुल्क, व शमन शुल्क जमा कराने की शर्तु के साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। |
| **मद सं0–07** | मेरठ विकास प्राधिकरण, द्वारा विभिन्न श्रेणी की सम्पत्तियों की किस्तों पर लिये जाने वाली ब्याज दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में। | मा0 बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों पर लिये जाने वाली ब्याज दरों का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि ब्याज की दरें दिनांक 01–08–2017 से प्रभावी होगी।<br>2. साथ ही यह ब्याज दरें उन सभी बकायेदार आवंटियों पर भी इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होगी कि यदि आबंटी द्वारा पूर्व की बकाया किश्तों की धनराशि का ब्याज सहित (आवंटन के समय लागू ब्याज दर अनुसार) एक मुश्त भुगतान दिनांक 30–09–2017 तक कर दिया जाता है तो दिनांक 01–08–2017 से भविष्य की सभी किश्तों पर अब स्वीकृत की जा रही ब्याज दरें लागू होगी। |
| **मद सं0–08** | निर्मल हिण्डन नदी परियोजना के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में इस हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जिसके द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नियम तैयार किये जायेगे। इस मद में अवस्थापना मद से 1.00 (एक) करोड़ एवं शमन शुल्क मद में प्रत्येक माह प्राप्त कुल धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि (अवस्थापना मद से) इस निमित्त खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी। |

| | | |
|---|---|---|
| **मद सं0–09** | प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में। | मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व स्वीकृत दरें यथावत् लागू रहेगी तथा दरों के निर्धारण हेतु सुविचारित प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाए। |
| माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु–<br>**अनुपूरक प्रस्ताव–** | | |
| **अनुपूरक मद सं0 01** | भूखण्डीय विकास के अर्न्तगत एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalagamate) किये जाने के सम्बन्ध में। | मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया कि प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा आमेलन के सम्बन्ध में अपनायी जा रही नीति का अध्ययन कर सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। |
| **अनुपूरक मद सं0 02** | उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26(क) में प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधायन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, निर्माण खण्ड–6 एवं निर्माण खण्ड–8 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मेरठ को करने के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| **अनुपूरक मद सं0 03** | औद्योगिक भूखण्डों के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त करते हुए महायोजना के औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त मानचित्रों की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नियोजन, अभियन्त्रण व प्रशासनिक सदस्यों की एक समिति गठित कर सम्बन्धित क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित |

| | | |
|---|---|---|
| | | कराने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। |
| **अनुपूरक मद सं0 04** | मानचित्र स्वीकृति के समय प्राधिकरण में लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों की वृद्धि के सम्बन्ध में। | प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त रियल स्टेट में मंदी होने के कारण, दरें बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। |

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

| | | |
|---|---|---|
| (राज कुमार) | (सीताराम यादव) | (डा0 प्रभात कुमार) |
| सचिव, | उपाध्यक्ष, | अध्यक्ष, |
| मेरठ विकास प्राधिकरण, | मेरठ विकास प्राधिकरण, | मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड, |
| मेरठ। | मेरठ। | मेरठ। |